

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर
(पीठासीन अधिकारी केम्प स्थल.खा.प.प.)

निर्णय दिनांक 24/11/2021

क्र.सं. 45/2021
राजस्व अधिनियम 1956

नाम सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ...29/01/21 व भू0अ0नि0 खा.प.प. के रिपोर्ट तथा तहसीलदार सहाड़ा/नायब तहसीलदार सहाड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खा.प.प. तहसील सहाड़ा व जिला सीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2077 में खाता संख्या 60,61,62,63,64 में, वर्तमान में एवं प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	<u>खा.प.प.</u>	<u>60,61,62, 63,64</u> <u>144</u>	<u>लक्ष्मी नारायण</u> <u>खिराम</u>	<u>लक्ष्मी नारायण</u> <u>हरिराम</u>

न

(राजेश सुवालका)
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग 2021
(उपखण्ड अधिकारी/पटवारी)
पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर

दिनांक 24/11/21

प्रकरण संख्या 45/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सहाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी लक्ष्मी नारायण श्री 0 हरिराम खिराम को सूचनाार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली।

खा.प.प.

(राजेश सुवालका)
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग 2021
(उपखण्ड अधिकारी/पटवारी)
पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर